

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

893]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 30, 2017/कार्तिक 8, 1939

No. 893]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 30, 2017/KARTIKA 8, 1939

गृह मंत्रालय (अंतर्राज्य परिषद् सचिवालय) अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2017

विषय : अंतर्राज्य परिषद् का पुनर्गठन ।

सा.का.नि. 1353(अ).—इस सचिवालय की अधिसूचना सं. 7/1/2014—अ.रा.प.(पार्ट), दिनांक 18 अक्तूबर 2016 के अधिक्रमण में, अंतर्राज्य परिषद् आदेश, 1990 के खंड 2 के अनुसार प्रधानमंत्री ने अंतर्राज्य परिषद् की निम्नलिखित संरचना अनुमोदित की है :--

अध्यक्ष

श्री नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री

सदस्य

- सभी राज्यों के मुख्यमंत्री i)
- विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं विधान सभा रहित संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक । ii)
- छ: केंद्रीय मंत्री
- श्री राजनाथ सिंह (क)
- गृह मंत्री।
- श्रीमती सुषमा स्वराज
- विदेश मंत्री।
- (ग) श्री अरूण जेटली
- श्री नितिन जयराम गडकरी (^{घ़})
- वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री।
- सड़क परिवहन और, राजमार्ग, पोत परिवहन और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री।
- (可) श्री थावर चन्द गहलोत
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री।
- (छ) श्रीमती निर्मला सीतारमण
- रक्षा मंत्री।

6461 GI/2017

| / | THE G | AZETTE | OF INDIA: EXTRAORDIA |
|------------------------------|--|-------------|--|
| 2 | 1 | | |
| कं द्री (क) (ख) (ग) | य मंत्री। स्थायी आमंत्रित सदस्य : श्री सुरेश प्रमु श्री राम विलास पासवान श्री रवि शंकर प्रसाद | - - - | वाणिज्य और उद्योग मंत्री। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री। विश्व और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। जनजातीय कार्य मंत्री। जनजातीय कार्य मंत्री। मानव संसाधन विकास मंत्री पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री। रेल और कोयला मंत्री। |
| (되) (통) (च) (B) | श्रीमती हरसिमरत कौर बादल श्री जुएल ओरम श्री प्रकाश जावड़ेकर श्री धर्मेन्द्र प्रधान | | |
| (জ |) श्री पीयूष गोयल | - | |

[फा. सं. 7/1/2014-अ.स.प.] आर. राजागोपाल, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS (Inter-State Council Secretariat) NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2017

Subject: Reconstitution of Inter-State Council.

G.S.R. 1353(E).—In supersession of the Secretariat's Notification No. 7/1/2014-ISC(Pt.) dated 18th October, 2016, the Prime Minister has approved the following composition of the Inter-State Council in terms of Clause 2 of the Inter-State Council Order, 1990 :-

Chairman

Shri Narendra Modi

Prime Minister

Members

Chief Ministers of Union Territories having a Legislative Assembly and Administrators of Union Territories not i) ii) having Legislative Assembly.

Six Union Ministers iii)

Minister of Home Affairs Shri Rajnath Singh a) Minister of External Affairs Smt. Sushma Swaraj Minister of Finance and Corporate Affairs b) Minister of Road Transport & Highways, Shipping, Water Shri Arun Jaitley c) Shri Nitin Jairam Gadkari d)

Resources, River Development and Ganga Rejuvenation Minister of Social Justice and Empowerment

Shri Thaawar Chand Gehlot e) Minister of Defence Smt. Nirmala Sitharaman f)

Union Ministers as Permanent Invitees:

Minister of Commerce and Industry Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Shri Suresh Prabhu Minister of Law & Justice; and Electronics & Information Shri Ramvilas Paswan b) Shri Ravi Shankar Prasad Technology Minister of Food Processing Industries Smt. Harsimrat Kaur Badal d)

Minister of Tribal Affairs Shri Jual Oram

Minister of Human Resource Development Shri Prakash Javadekar

g) Shri Dharmendra Pradhan

Minister of Petroleum & Natural Gas, Skill Development and

Entrepreneurship

h) Shri Piyush Goyal

Minister of Railways and Coal

[F. No. 7/1/2014—ISC] R. RAJAGOPAL, Addl. Secy.

अधिसूचना नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2017

विषय: अंतर्राज्य परिषद् की स्थायी समिति का पुनर्गठन ।

सा.का.नि. 1354(अ).—इस संचिवालय की अधिसूचना सं. 7/1/2014—अ.रा.प.(पार्ट), दिनांक 18 अक्टूबर, 2016 के अधिक्रमण में, अंतर्राज्य परिषद् की स्थायी समिति की संरचना प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित रूप में अनुमोदित की गई है :—

अध्यक्ष

श्री राजनाथ सिंह

गृह मंत्री।

सदस्य

(i) श्रीमती सुषमा स्वराज

विदेश मंत्री।

(ii) श्री अरुण जेटली

वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री।

(iii) श्री नितिन जयराम गडकरी

सड़क परिवहन और राजमार्ग, पोत परिवहन, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सरक्षण मंत्री।

(iv) श्री थावर चन्द गहलोत

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री।

- (v) मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश
- (vi) मुख्यमंत्री, पंजाब
- (vii) मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
- (viii) मुख्यमंत्री, त्रिपुरा
- (ix) मुख्यमंत्री, ओडिशा
- (x) मुख्यमंत्री, राजस्थान
- (xi) मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
- 2. स्थायी समिति :-
- (i) परिषद् के विचारार्थ मामलों पर नियमित परामर्श एवं कार्रवाई करेगी ;
- (ii) अंतर्राज्य परिषद् में विचार से पूर्व केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़े सभी मामलों पर कार्रवाई करेगी ;
- (iii) परिषद् की सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी ; और
- (iv) अध्यक्ष / परिषद् द्वारा उठाए गए किसी अन्य मामले पर विचार करेगी ।
- 3. स्थायी समिति, यदि आवश्यक समझे तो, संबंधित विषयों पर विचार—विमर्श के दौरान क्षेत्र विशेष के प्रमुख व्यक्तियों और विशेषज्ञों के विचारों से लाभान्वित होने के लिए उन्हें आमंत्रित कर सकती है ।

[फा. सं. 7/1/2014—अ.रा.प] आर. राजागोपाल, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2017

Reconstitution of the Standing Committee of the Inter-State Council. Subject: -

G.S.R. 1354(E).—In supersession of the Secretariat's Notification No. 7/1/2014-ISC(Pt.) dated 18th October, 2016, the Prime Minister has approved the following composition of the Standing Committee of the Inter-State Council:-

Chairman

Shri Rajnath Singh

Minister of Home Affairs

Members

Smt. Sushma Swaraj (i)

Shri Arun Jaitley

(ii) Shri Nitin Jairam Gadkari (iii)

Shri Thaawar Chand Gehlot (iv)

Chief Minister, Andhra Pradesh (v)

Chief Minister, Punjab (vi)

*Chief Minister, Chhattisgarh (vii)

Chief Minister, Tripura (viii)

Chief Minister, Odisha (ix)

Chief Minister, Rajasthan (x)

Chief Minister, Uttar Pradesh (xi)

Minister of External Affairs

Minister of Finance and Corporate Affairs

Minister of Road Transport & Highways, Shipping and Water

Resources, River Development and Ganga Rejuvenation

Minister of Social Justice and Empowerment

- The Standing Committee will:
 - have continuous consultation and process matters for consideration of the Council; (i)
 - process all matters pertaining to Centre-State Relations before they are taken up for consideration in the (ii) Inter-State Council;
 - monitor the implementation of decisions taken on the recommendations of the Council; and (iii)
 - consider any other matter referred to it by the Chairman / Council. (iv)
- The Standing Committee may, if necessary, invite experts and persons eminent in specific fields to have the benefit of their views while deliberating upon the related subjects.

[F. No. 7/1/2014-ISC] R. RAJAGOPAL, Addl. Secy.